

ग्राम पंचायत बगली, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कौगड़ा के लेखाओं का

अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2014 से 03/2017

भाग -1

1 प्रस्तावना:-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-5C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बगली, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री भाग सिंह	01/04/2014 से 22/01/2016
2	श्री अश्विन कुमार	23.01.2016 से लगातार

सचिव:-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री नरेन्द्र कुमार	01.04.2014 से 06.02.2016
2	श्री मोहिन्द्र कुमार	07.02.2016 से 20.10.2016
3	श्री कुलदीप चन्द	21.10.2016 से 13.12.2016
4	श्री शशि भूषण	14.12.2016 से 27.02.2017
5	श्री कुलदीप चन्द	28.02.2017 से 09.04.2017
6	श्री मोहिन्द्र कुमार	10.04.2017 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :- ग्राम पंचायत बगली, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कौगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	पंचायत राजस्व की शेष वसूली	0.35
2	7	अनुदान राशि का अवरोधन	1.59
3	8	क्रय की गई सामग्री का भण्डारण न करना	1.18

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत बगली, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कॉंगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी व मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03.05.2017 से 06.05.2017 तक ग्राम पंचायत बगली, के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 05/13, 06/14 व 04/15 एवं व्यय के लिए माह 04/2013, 12/2014, व 10/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवदेन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत बगली, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. शिमला-171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना सं० 02 दिनांक 06/05/2017 द्वारा सचिव, पंचायत बगली, से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:—

ग्राम पंचायत बगली, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कॉंगड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :'

- 4.1 स्व स्रोत व अनुदान :- ग्राम पंचायत बगली, के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है :

स्व स्रोत

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2014-15	286854.00	468510.00	12329.00	767693.00	324731.00	442962.00
2015-16	442962.00	241787.00	15326.00	700075.00	365253.00	334822.00
2016-17	334822.00	146533.00	13373.00	494728.00	191111.00	303617.00

अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2014-15	65273.00	2233765.00	9088.00	2308126.00	2056541.00	251585.00
2015-16	251585.00	1849471.00	7935.00	2108991.00	1580199.00	528792.00
2016-17	528792.00	2829120.00	31024.00	3388936.00	2230250.00	1158686.00

स्व: स्रोत व अनुदान का कुल योग **1462303.00**

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि का विवरण :-

क्रम सं०	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	के०सी०सी० बैंक बगली	20097027827	302935.00
2	के०सी०सी० बैंक बगली	50055492836	1349.00
3	के०सी०सी० बैंक बगली	50055493012	7.00
4	के०सी०सी० बैंक बगली	20097035872	127944.00
5	के०सी०सी० बैंक बगली	50057318276	54171.00
6	के०सी०सी० बैंक बगली	50057684083	349.00
7	के०सी०सी० बैंक बगली	50057684094	1061.00
8	के०सी०सी० बैंक बगली	50062128280	274.00
9	के०सी०सी० बैंक बगली	50061937212	224.00
10	के०सी०सी० बैंक बगली	5006308117	973307
	हस्तगत राशि		682.00
		कुल योग :	1462303.00

5.1 रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न करना:—

ग्राम पंचायत बगली की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) की रोकड़ बही के लेखांकन में नियमों की पूर्ण अवहेलना की जा रही है। लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत बगली की रोकड़ बहियों के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यवाही बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 वर्गीकृत सार को तैयार न करना:—

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय के लिये तथा दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत बगली द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका तथा आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत राजस्व ₹0.35 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:—

पंचायत सचिव/सहायक ग्राम पंचायत बगली द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹35200 की वसूली शेष थी।

गृहकर :-

क्र०सं०	वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	अन्तशेष
1	2013—14	13040.00	15560.00	28600.00	28600.00	—
2	2014—15	—	15840.00	15840.00	400.00	15440.00
3	2015—16	15440.00	15840.00	31280.00	80.00	31200.00

मोबाईल टाबर:-

क्र०सं०	वर्ष	मोबाईल टाबरों की संख्या	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	अन्तशेष
1	2013—14	01	8000.00	2000.00	10000.00	10000.00	—
2	2014—15	01	—	2000.00	2000.00	—	2000.00
3	2015—16	01	2000.00	2000.00	4000.00	—	4000.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

7 अनुदान ₹11.59 लाख का अवरोधन:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹1158686 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा भिन्न-भिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से बंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशियों को प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

8 ₹1.18 लाख के क्रय किये गये सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये भण्डार का स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के दौरान **परिशिष्ट "क"** पर वर्णित क्रय किये गये सीमेंट, निर्माण सामग्री व लेखन सामग्री इत्यादि को क्रय के उपरान्त न तो भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया गया और न ही इसका आगामी निपटारा किया गया, जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब क्रय किये गये सीमेंट को भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत किया जाये।

9 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विपभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इन रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इनका रख-रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये ।

क्रम सं०	अभिलेख/रजिस्टर का नाम
1	गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2	शराब शुल्क प्राप्ति रजिस्टर
3	चल-अचल सम्पत्ति रजिस्टर
4	निर्माण कार्य रजिस्टर
5	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6	रसीदों का स्टॉक रजिस्टर
7	स्टॉक रजिस्टर
8	विकास निष्पादन रजिस्टर
9	पेशगी रजिस्टर

11 अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे:—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय की गई अनुदानों की राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय समस्त अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13 निष्कर्ष:— लेखों के रख-रखाब व नियमों की अनुपालना में सुधार की अत्याधिक आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:—फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)115/2017-खण्ड-1-7361-7364 दिनांक
29.12.2017 शिमला-09,

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत बगली, विकास खण्ड धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं० 0177-2620881